



JAWAHARNAVODAYAVIDYALAYA,THANDLA

DISTT-JHABUA(M.P.)

TENDER DOCUMENTS FOR Hair Cutting

Tender No.....for the year – 2018-19

Price Rs. 100/- (NON REFUNDABLE)

LAST DATE AND TIME FOR **ISSUE OF TENDER** DOUCMENTS

Upto **31.05.2018** 14:00 Hrs.

At office of the Principal, JNV Thandla Distt. Jhabua (M.P.)

LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF **FILLED-UP TENDER** DOUCMENTS

Upto ...**31.05.2018**..... 16:00 Hrs.

At office of the Principal, JNV Thandla, Distt. Jhabua (M.P.)

DATE AND TIME OF **OPENING** OF TENDER

ON ...**01.06.2018**..... 11:00 Hrs.

At office of the Principal, JNV Thandla, Distt. Jhabua (M.P.)

PRINCIPAL
J.N.V., Thandla
DISTT. Jhabua(M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, थान्दला,
जिला-झाबुआ (म.प्र.)

क्रमांक-ज.न.वि./थान्दला./निविदा/2018-19

दिनांक / /2018

प्रति,

.....
.....
.....

विषय:-.....सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा-पत्र ।

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, थान्दला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) के लिये Hair Cutting सामग्री की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा पत्र नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय-भोपाल के निर्देशानुसार जवाहर नवोदय विद्यालय, थान्दला जिला- झाबुआ में दिनांक 31/05/2018 को सायं 04:00 बजे तक पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रूप से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । निविदा प्रपत्र कार्यालय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय थान्दला से दिनांक 17/05/2018 से 31/05/2018 के दौरान किसी भी कार्यदिवस में दोप. 2.00 बजे तक निर्धारित शुल्क रु. 100/- प्रति निविदा प्रपत्र अनुसार भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा विद्यालय की वेबसाईट www.jnvjhabua.com से डाउनलोड किया जा सकता है । वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य 100/- धरोहर राशि के साथ जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । निविदा अच्छी तरह सीलबंद लिफाफे में हो जिसके ऊपर Hair Cutting निविदा स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिये । मुहरबंद निविदाएँ प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, थान्दला जिला- झाबुआ के कार्यालय में दिनांक 01/06/2018 को प्रातः 11:00 बजे विद्यालय क्रय सलाहकार समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
2. निविदादाताओं को अधोलिखित पैरा क्र. 03 से 24 तक में उल्लेखित निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
3. निविदा-पत्र में दर्शाई गई दरें समस्त कर एवं भाड़ा सहित अंकित की जानी चाहिए । जवाहर नवोदय विद्यालय किसी प्रकार का अतिरिक्त कर या भाड़ा का भुगतान नहीं करेगा एवं सामग्री विद्यालय परिसर में पहुँचानी होगी । आपके द्वारा अंकित दरों में समस्त प्रकार के टेक्स शामिल होंगे विद्यालय द्वारा प्रथक से अतिरिक्त कोई टेक्स प्रदान नहीं किया जायेगा ।
4. निविदा पत्र में दर्शायी गई दरों में कौट-छौट नहीं होना चाहिए । यदि किसी अंक पर कौट-छौट की जाती है तो उस अंक को घेरा बनाकर नयी दर अंकित करना चाहिए एवं उन जगहों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है । हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य की जा सकती है ।
5. निविदा पत्र में अंकित कम मूल्यों को स्वीकार करने या ना करने का अधिकार प्राचार्य/क्रय सलाहकार समिति को है । किसी भी निविदा पत्र के सम्पूर्ण या आंशिक सामग्री को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार भी प्राचार्य/क्रय सलाहकार समिति के पास सुरक्षित है ।
6. निविदा की स्वीकृती पर यह एक अनुबंध होगा और निविदादाता निविदा में दी गई शर्तों, सामान्य वित्तीय नियमों एवं न.वि.स. के नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा । इस संबंध में संलग्न वचन/सहमति पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जाएगा ।
7. एक वस्तु का एक ही मूल्य अंकित करें एवं जिस ब्रांड/स्पेशिफिकेशन की सामग्री की दर चाही गयी है, उसी वस्तु की दरें दें । कई मूल्य अंकित करने एवं निविदा शर्तों का पालन ना करने पर ऐसे निविदादाताओं के मूल्यों को निरस्त किया जा सकता है । न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है । वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर क्रय सलाहकार समिति को वस्तु एवं दरें स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
8. आवश्यकता होने पर ही केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से ही नेगोशिएशन किया जाएगा । किसी सामग्री के लिये एक या अधिक फर्मों की दरें समान होने पर सेम्पल की गुणवत्ता/नेगोशिएसन के आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जावेगा ।

9. निविदादाता, निविदा पत्र में दर्शायी निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक के रूप में प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, थान्दला के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, थान्दला में देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं । निविदा-पत्र के साथ जमा की गयी धरोहर राशि निविदा स्वीकार होने पर सामग्री आपूर्ति के कुल क्रय मूल्यों का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के साथ समायोजन किया जायेगा और आपूर्ति आदेश अनुसार सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी ।
10. निविदादाता सामानों की आपूर्ति यदि निर्धारित समयावधि में नहीं करता है तो प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उक्त सामग्री खुले बाजार/अन्य फर्म से क्रय कर ले एवं अंतर की राशि को निविदादाता की सुरक्षा निधि से समायोजित की जायेगी । यदि अंतर की राशि अधिक है तो निविदादाता उक्त राशि को देने के लिये बाध्य होगा । यदि दोबारा आपूर्ति समय एवं मांग अनुसार नहीं की जाती है तो धरोहर राशि राजसात कर फर्म को कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी । एक बार अवसर देने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया जावेगा ।
11. क्रय सलाहकार समिति को निविदा पत्र में दर्शायी सामग्री की मात्रा से कम या अधिक आवश्यकतानुसार क्रय करने का अधिकार है । दरें विद्यालय द्वारा जारी भावपत्रक पर ही भरना अनिवार्य है ।
12. निविदादाता को समस्त सामानों का सेम्पल निविदा खुलने की तिथि के पूर्व लाना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, सेम्पलों का प्रदर्शन स्वयं करना होगा । चयनित सेम्पलों को क्रय सलाहकार समिति सुरक्षित रख लेगी । सामग्री का सेम्पल निविदा दाता को बिना भुगतान के जमा करना होगा एवं निविदा खुलने के स्थान तक आवश्यकतानुसार पहुंचाना होगा एवं स्वीकृत सेम्पल वापस नहीं किये जाएंगे । केवल अस्वीकृत निविदा के ही सेम्पल 03 माह बाद वापस होंगे ।
13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें दिनांक 30-04-2019 तक के लिए मान्य होंगी ।
14. जब भी कम्पनियों/एजेन्सियों द्वारा सामग्री के साथ किसी स्कीम के तहत फ्री गिफ्ट/उपहार दिया जाता है तो निविदादाता को वह देना होगा और उसे बिलों पर भी उपहार सामग्री लिखकर अंकित करना होगा अन्यथा उपहार के मूल्य को बिल राशि में से काटकर भुगतान किया जायेगा । निविदा में जिस किसी सामग्री की MRP पर प्रतिशत में छुट चाही गयी है, वहाँ दरों में भरे हुए मूल्य स्वीकार नहीं किए जायेंगे । इसी प्रकार जहाँ दरें चाही गयी हैं, वहाँ MRP पर प्रतिशत में छुट दर्शाने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
15. विद्यालय द्वारा क्रयादेश के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई सामानों की गुणवत्ता की जाँच अधोहस्ताक्षरकर्ता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में जमा नमूना एवं टेण्डर विवरण के आधार पर मिलान कर जाँच की जावेगी । सामग्री की गुणवत्ता में अंतर पाए जाने पर सामग्री को निरस्त किया जायेगा। अस्वीकृत सामग्री विद्यालय में नहीं रखी जावेगी । आपूर्ति आदेश में दर्शायी मात्रा से अधिक सामग्री भेजने पर अधिक भेजी गयी सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसी सामग्री तत्काल वापस ले जाने की पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी तथा यह सामग्री नहीं ले जाने पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं होगी ।
16. निविदादाताको फर्नीचर में टेण्डर में उल्लेखित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करना होगा । साथ ही उक्त सामानों पर विक्रेता का नाम एवं निर्माण वर्ष का धातु का प्लेट लगाना अनिवार्य है ।
17. निविदादाताद्वारा आपूर्ति की गयी उपकरण /फर्नीचर आदि सामग्रियों में यदि 6 माह तक किसी भी प्रकार से निर्माण या सामग्री की गुणवत्ता में खराबी पाये जाने पर खराब सामग्री का मूल्य राशि निविदा दाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि से काट कर समायोजित कर लिया जावेगा ।
18. निविदादाताकी किसी भी शर्त के लिये विद्यालय बाध्य नहीं होगा और इस संबंध में किसी प्रकार का दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी । इस प्रकार किसी भी निविदा को विद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही स्वीकार किया जावेगा । किसी भी स्थिति में सिफारिश करनेवाले निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
19. निविदा प्रपत्र में दर सूची पूर्णतः भरी होने पर ही स्वीकार किया जावेगा, अपूर्ण मदों की दरें भरने पर निरस्त माना जावेगा । निविदा पत्र के सभी पन्नों पर निविदादाताद्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर करें ।
20. प्रत्येक निविदादाताको सामग्री आपूर्ति के समय पक्का बिल प्रस्तुत करना होगा, चालान या कच्चे बिल से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा । निविदादाता को एनईएफटी/आरटीजीएस से भुगतान प्रेषित किया जाएगा है । भुगतान प्राप्त होने के बाद निविदादाताको निर्धारित प्रिंटेड प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य होगा ।

21. निविदा दर सूची में मांगी गई वस्तु के वजन/ब्रांड/मात्रा के अनुसार ही दरें भरें । अपनी ओर से कटिंग कर जोड़ना या बदलना निविदा फार्म में हेरा-फेरी किया जाना मानकर उन्हें तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जावेगा । अतः निविदा पत्र में चाहे अनुसार ही दरें भरी जावें और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा ।
22. कम्पनी द्वारा निर्मित ब्राण्डेड वस्तुओं पर निर्माण तिथि, अनुपयोगी तिथि, लॉट/बेंच क्रं. एवं अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) अंकित होना अनिवार्य है । किसी भी स्थिति में एम.आर.पी. से अधिक भुगतान नहीं किया जावेगा । कम्पनी की एम.आर.पी. को मिटाना, बदलना, चिट लगाना आदि स्वीकार नहीं किया जावेगा और इसे धोखाधड़ी माना जाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
23. निविदादाताको टेण्डर फार्म एवं वचन पत्र में केवल स्वयं के नाम या फर्म के नाम का वैध ई-मेल आई.डी. दर्शाना अनिवार्य है । सभी प्रकार का पत्राचार एवं आपूर्ति आदेश ई-मेल के द्वारा ही किया जाएगा । अतः केवल फर्म के नाम या फर्म के मालिक के नाम का वैध ई-मेल आई.डी. होना अनिवार्य है । वैध एवं कार्यरत मोबाईल नं. निविदा फार्म में अंकित करना अनिवार्य है । आपूर्ति आदेश प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी प्रकार की देरी के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । उपकरण एवं कपड़ा सामग्रियों को छोड़कर अन्य सभी सामग्रियों जैसे खाद्यान्न/किराणा, दैनिक उपयोग, स्टेसनरी, फल-सब्जी इत्यादि की आपूर्ति की अवधि अधिकतम 8 दिवस होगी । इस अवधि में सामग्री विद्यालय परिसर में आपूर्ति न करने पर निविदा शर्तों अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
24. निविदा पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी :
1. फर्म का वर्तमान जीवित टिन नं./GST/CST पंजीयन प्रमाण-पत्र, 15-05-2018 की स्थिति में ।
 2. वाणिज्य कर-वेट/ आयकर चुकता/रिटर्न प्रमाण-पत्र, 31-03-2018 की स्थिति में ।
 3. धरोहर राशि रू.....ड्रॉफ्ट नं.....दिनांक..... ।
 4. निविदा का पूर्ण रूप से भरा हुआ भाव पत्रक एवं निविदा आवेदन-पत्र ।
 5. खाद्य विभाग द्वारा जारी खाद्य लायसेंस पत्र ।
 6. ग्राम पंचायत, नगरी क्षेत्र में दुकान का जीवित पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।
 7. कम्पनी द्वारा प्रिंटेड कटलॉग/मूल्य सूची एवं डीलर शीप/निर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्ता का प्रमाण-पत्र यदि हो तो,
 8. खाद्य/किराणा सामग्री के सेम्पल 50 ग्राम जार (डिब्बी) या लॉक वाली पॉलिथैक में ही स्वीकार किये जायेंगे । सेम्पल के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी ।
 9. किराणा सामग्री, स्टेसनरी, गणवेश, बिस्तर सामग्री एवं दैनिक उपयोग सामग्री के सेम्पल लाना अनिवार्य है ।
 10. निविदा संबंधी समस्त शर्तों के स्वीकार होने के संबंध में सहमति/वचन पत्र ।
 11. फर्म का निरस्त किया हुआ चैक तथा लेटर हेड ।

अमानत राशि का विवरण

क्रमांक	वस्तु विवरण	धरोहर राशि	क्रमांक	वस्तु विवरण	धरोहर राशि
01	खाद्यान्न सामग्री (Mess Articles)	10,000.00	06	सब्जी एवं फल (Vegetables & Fruits)	5,000.00
02	गणवेश धुलाई एवं प्रेस (Uniform/cloth washing & Press)	500.00	07	फर्निचर (Furniture)	5000.00
03	प्रसाधन सामग्री (Toilet Items)	2,000.00	08	हेयर कटिंग (Hair Cutting)	500.00
04	बेकरी आइटम (Bakery Items)	2,000.00	09	यूनिफार्म सिलाई	2000.00
05	यूनिफार्म एवं बेडिंग आइटम	5000.00			

स्थान:- थान्दला

संलग्न:- निविदा सूची उपरोक्तानुसार

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय,
थान्दला, जिला-झाबुआ (म.प्र.)

निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का निविदा की समस्त शर्तों के स्वीकार होने संबंधी अनुबंध का

वचन/शपथ-पत्र

मै/हम मेसर्स.....आपके द्वारा उपरोक्त निविदा पत्र में लिखित विवरण एवं शर्त क्रमांक 03 से 24 तक को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और तदुपरांत ही प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय थान्दला, जिला-झाबुआ म.प्र. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चाही गयी सामग्रियों की दरें प्राचार्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये भावपत्रक पर ही अंकित करता/करती/करते हैं और साथ में अपना एक निरस्त चैक एवं मुद्रित लेटर हेड अपने हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर सहित संलग्न करता/करती/करते हैं तथा वचन देता/देती/देते हैं कि निविदा पत्र में दर्शायी गयी सभी शर्तें मैंने/हमने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ ली हैं और मुझे/हमको स्वीकार है । मुझे/हमे भलीभाँति विदित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय हेतु न्यायक्षेत्र थान्दला जिला झाबुआ, म.प्र. होगा । मेरे द्वारा क्रमांक 24 में मांगे गए सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं ।

साक्षीगणों के हस्ताक्षर, नाम एवं पूर्ण पता

**निविदादाता/निविदादाताओं/प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर एवं पूरा पता मय सील/मोहर**

1.....
नाम एवं पता.....

.....
फोन नं.....

.....
.....
फोन नं.....
मो. नं.....
ई-मेल पता:.....

2.....
नाम एवं पता.....

.....
फोन नं.....

Jawahar Navodaya Vidyalaya Thandla (Jhabua-II) Distt-Jhabua (M.P.)

List of Items for 2018-19

Head : Hair Cutting

Name and Address of the Party/Firm :

Registration NO. of the Firm : _____ Valid up to _____

EMD Rs. _____ vide Bank Draft No. _____ Dated _____

Money receipt No. and the date of Tender purchase : _____

क्रमांक	विवरण	दर प्रति
01	छात्रों की साधारण बाल कटाई	
02	छात्राओं की साधारण बाल कटाई	

- नोट : 1. छात्राओं के बाल काटने हेतु महिला Barber को प्राथमिकता दी जावेगी ।
2. छात्र/छात्राओं की बाल कटाई का कार्य विद्यालय परिसर में ही करना होगी ।

गवाह के नाम एवं हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

01.....

नाम

02.

पूर्ण पता

सील/मुहर

मोबाइल नं.

E-MAIL ID OF FIRM :